

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

राँची, दिनांक 15/06/2024

संख्या :- 8/वि01-04/2018...783/निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) के अधीन झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु गठित "झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019" यथा संशोधित तथा "झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली, 2022" में निम्नांकित संशोधन करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

- यह नियमावली "झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024" कही जायेगी।
- इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 1 के नियम 2(ण) -

आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह।"

3. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 1 के नियम 2(न) के बाद नियम 2 (प) के रूप में विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य का परिभाषा निम्नवत् अंकित किया जाता है-

विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य :- भारतीय पुनर्वास परिषद्, द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से निर्धारित योग्यता के अनुसार विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, जो प्रारंभिक विद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य करते हों।

4. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 1 के नियम 2 (प) के बाद नियम 2 (फ) के रूप में सहायक आचार्य (उर्दू) का परिभाषा निम्नवत् अंकित किया जाता है-

सहायक आचार्य (उर्दू) से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालय में अहर्ताथी सहायक आचार्य (उर्दू)।

5. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 5 में निम्न प्रावधान है -

शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जाँच हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सफल अभ्यर्थी निम्नलिखित विद्यालयों में नियुक्ति के पात्र होंगे -

क. प्रारंभिक विद्यालय (प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय)

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जाँच हेतु झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन झारखण्ड अधिविद्य परिषद् या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थी "प्रारंभिक विद्यालय (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय)" में नियुक्ति के पात्र होंगे।

6. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 के अध्याय 2 के नियम 6 (ग)(i) में प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-5 के लिए) शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं के अंतर्गत "अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी.एड.)" के प्रावधान को विलोपित किया जाता है।

7. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 6 (ग)(ii) में निम्न प्रावधान है -

उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6-8 के लिए)

स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) [जो दिनांक 31.05.2009 के बाद उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हों]

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। [जो दिनांक 31.05.2009 तक उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हो चुके हों]

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए. / बी. एस. सी. एड. (BA, BSC, Ed.) या बी.ए.एड. (BA, Ed) / बी. एस. सी. एड. (BSC, Ed.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6-8 के लिए)

स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (या इसके समकक्ष) या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) [जो दिनांक 29.07.2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों]

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। [जो दिनांक 29.07.2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों]

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी. ए./बी.एस सी.एड. (BA, BSC, Ed.) या बी.ए.एड. (BA, Ed.)/बी.एस सी.एड. (BSC, Ed.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा बी.एड. (विशेष शिक्षा)

अथवा

न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 03 वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.

8. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 1 के नियम 6(ग) के परन्तुक (i) में निम्न प्रावधान है -

(i) गणित एवं विज्ञान शिक्षक - स्नातक (विज्ञान) प्रतिष्ठा के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय एवं सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कोई दो विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण -

(क) गणित, (ख) भौतिकी, (ग) रसायनशास्त्र, (घ) वनस्पति विज्ञान (च) जीव विज्ञान।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(i) गणित एवं विज्ञान शिक्षक - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिग्रियों का विनिर्देशन (Specification of Degrees) के संबंध में जारी अधिसूचना, मार्च, 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित विज्ञान/अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 03 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों तथा 10+2 या उच्चतर माध्यमिक; गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम से कम दो विषय के साथ उत्तीर्ण हों।

9. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 1 के नियम 6(ग) के परन्तुक (ii) -सह- यथासंशोधित नियमावली, 2022 के 2(i) में निम्न प्रावधान है-

सामाजिक विज्ञान शिक्षक - स्नातक (कला) प्रतिष्ठा के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय तथा सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कोई दो विषय के साथ उत्तीर्ण -

(क) इतिहास, (ख) भूगोल, (ग) राजनीतिशास्त्र, (घ) अर्थशास्त्र (च) समाजशास्त्र, (छ) लेखा शास्त्र, (ज) व्यापार अध्ययन।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“सामाजिक विज्ञान शिक्षक - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिग्रियों का विनिर्देशन (Specification of Degrees) के संबंध में जारी अधिसूचना, मार्च, 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित, कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान/वाणिज्य/प्रबंधन विषय में न्यूनतम 03 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों,”

10. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 1 के नियम 6 (ग) के परन्तुक (iii) में निम्न प्रावधान है -

भाषा शिक्षक :- संबंधित भाषा में स्नातक प्रतिष्ठा अथवा सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित भाषा में से कोई एक भाषा अंग्रेजी/ हिन्दी के साथ अतिरिक्त विषय के रूप में स्नातक उत्तीर्ण -

(क.)संस्कृत (ख.)उर्दू (ग.)फारसी (घ.)उड़िया (च)बंगला (छ)संथाली (ज)मुण्डारी (झ)हो (ट)खड़िया (ठ)कुड़ुख (उरांव) (ड)कुरमाली (ढ.)खोरठा (त)नागपुरी तथा (थ) पंच-परगनिया।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

भाषा शिक्षक – कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या – 1427 दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा में से किसी एक भाषा में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक या स्नातक (प्रतिष्ठा)। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा भविष्य में किये गये संशोधन स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे।

11. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 में नियम 6(ग)(iii) के पश्चात् नियम 6(ग)(iv) निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है –

प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 के लिए) विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य-

वे अभ्यर्थी जो +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करते हों:-

किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में दो वर्षीय D.Ed (XIIth passed and 2 years D.Ed. Special Education in any of the categories of disability)

अथवा

किसी भी दिव्यांगता श्रेणी में एक-वर्षीय विशेष शिक्षा में डिप्लोमा। (XIIth passed and 1 year Diploma in Special Education (DSE) in any of the categories of disability.)

अथवा

सामुदायिक पुनर्वास में डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course (Diploma in Community Based Rehabilitation (DCBR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

अथवा

सामुदायिक पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course (Post Graduate Diploma in Community Based Rehabilitation (PGDCBR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course के साथ Multi Rehabilitation Worker (MRW) में डिप्लोमा (Diploma in Multi Rehabilitation Worker (MRW) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

अथवा

बहरापन दिव्यांग को पढ़ाने में कनीय डिप्लोमा (Junior Diploma in Teaching the Deaf.)

अथवा

दृष्टि दोष में प्रारंभिक स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण। (Primary level Teacher Training course in Visual Impairment.)

अथवा

(Diploma in Vocational Rehabilitation-Mental Retardation (DVR-MR)/Diploma in Vocational Training and Employment-Mental Retardation (DVTE-MR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

अथवा

(Diploma in Hearing Language and Speech (DHLS) with 6 months Certificate course in Education of Children with special Needs.)

12. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 6(ग) (v) निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है -

उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8 के लिए) विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य-नियमावली की नियम-6 (ग) (ii) में वर्णित शैक्षणिक योग्यता में 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण एवं निम्नांकित प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी :-

Graduate with B.Ed. (Special Education) from a RCI approved Institute and possess a valid RCI CRR No.

OR

B.Ed. (General) with a one year Diploma in Special Education / B.Ed (General) with two years Diploma in Special Education with a recognized qualification (Certificate/Diploma*) from a RCI approved Institution equivalent to B.Ed. in Special Education and possess a valid RCI CRR No.

OR

BEd (General) with Post Graduate Professional Diploma in Special Education (PGDC) / (PG Diploma in Special Education (Mental Retardation) / PG Diploma in Special Education (Multiple Disability : Physical & Neurological) / PG Diploma in Special Education (Locomotor Impairment and Cerebral Palsy) / Secondary Level Teacher Training Course in Visual Impairment / Senior Diploma in Teaching the Deaf / BA B.Ed in Visual Impairment.

13. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 6(ग) के अंत में अंकित नोट में निम्न प्रावधान है -

1. राज्य में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में विभागीय संकल्प/आदेश द्वारा कक्षा 1-5 तक अनिवार्य किया गया है। इस आलोक में इण्टर प्रशिक्षित श्रेणी हेतु आवेदकों को मैट्रिक स्तर पर अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना होगा।

2. क्षेत्रीय एवं अन्य भाषा में इण्टर प्रशिक्षित श्रेणी के आवेदकों को मैट्रिक / इण्टर स्तर पर संबंधित भाषा में उत्तीर्ण होना होगा।

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायादेशों के क्रम (एल.पी.ए. संख्या 209, 219, 223 एवं 227/2017 में पारित न्यायादेश दिनांक 27.06.2019) स्नातक डिग्री अहर्ताधारी जिनका सहायक अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में MIL Hindi रहा हो, उन्हें इसके आधार पर स्नातक प्रशिक्षित भाषा शिक्षक के पद हेतु वांछित अहर्ता नहीं माना गया है।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

1. कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा शामिल होने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हों एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों।
2. कक्षा 6 से 8 के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी0एड0) हों।
3. शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

14. **झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 6(घ) में निम्न प्रावधान है -**

वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कंडिका 6(ग)(i) के अनुरूप निर्धारित योग्यताधारी अर्थात् "न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा एक वर्षीय बी.एड./ बी.एड. (विशेष शिक्षा)/ डी.एड.(विशेष शिक्षा)" प्राप्त हो, ऐसे अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि शिक्षक पद पर नियुक्ति के पश्चात् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप में छः माह का ब्रीज (सेतु) कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थित्व विचारणीय नहीं होगा तथा रद्द कर दिया जायेगा।

(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना संख्या 246 दिनांक 28.06.2018 के अनुरूप)

को विलोपित किया जाता है।

15. **झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 6(ङ) में निम्न प्रावधान है -**

अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को नियम 6 (ग) (i) (अ) एवं 6 (ग) (ii) (अ) में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों को उपरोक्त अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 7 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग-1 / अत्यंत पिछड़ा वर्ग-2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.भी.टी.जी.) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 7 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

16. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 6(च) में निम्न प्रावधान है -

अभ्यर्थी झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व अपनी योग्यता नियम 6(ग)(i)(अ) एवं 6(ग)(ii)(अ) के विनिर्दिष्ट योग्यता के अनुरूप स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अहर्ता धारित करना अनिवार्य होगा।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अभ्यर्थी झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व नियम 6(ग)(i), 6(ग)(ii), 6(ग)(iv) एवं 6(ग)(v) में विनिर्दिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अहर्ता धारित करना अनिवार्य होगा।

परन्तु निर्धारित/विहित प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे आवेदकों को भी इस शर्त के साथ झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच, संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर, प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना होगा, जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन, परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जायेगा।

17. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 6 (ज) के पश्चात नियम 6 (झ) निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है -

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन वर्ष के 01 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा।

परन्तु (i) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) जिनकी सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हों की संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जायेगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा।

(ii) सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल अवधि में एक वर्ष छोड़कर अधिकतम सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।

उदाहरणस्वरूप – यदि जेटेट की परीक्षा वर्ष 2015 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा 2020 में हो, तो एक वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम चार वर्ष की छूट एक बारगी अवसर के रूप में दी जायेगी।

18. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 7 (ख) में निम्न प्रावधान अंकित है—

(ख) प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसका परीक्षा अवधि निम्नवत् होगा:—

- i) प्राथमिक कक्षा (1 से 5) – दो घंटा तीस मिनट।
- ii) उच्च प्राथमिक कक्षा (6 से 8) – तीन घंटा।
- iii) दृष्टि बाधित, दिव्यांगों के लिए— तीस मिनट का अतिरिक्त समय।

एवं

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 2 (ii) में अंकित प्रावधान निम्न है— प्राथमिक कक्षा (1 से 5) के लिए परीक्षा अवधि 3 घंटा।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:—

प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसका परीक्षा अवधि निम्नवत् होगा—

- i) प्राथमिक कक्षा (1 से 5) – 2 घंटा 30 मिनट।
- ii) उच्च प्राथमिक कक्षा (6 से 8) – 2 घंटा 30 मिनट।
- iii) दृष्टि बाधित दिव्यांगों के लिए— 30 मिनट का अतिरिक्त समय।

19. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 7 (ज) में निम्न प्रावधान अंकित है –

उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जाँच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा स्नातक के सिलेबस पर आधारित होंगे, किन्तु इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर स्नातक या समकक्ष होगा।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:—

उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जाँच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त 'State University' के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों की कठिनाईयों का स्तर स्नातक या समकक्ष होगा।

20. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 7 (झ) में निम्न प्रावधान अंकित है –

नियम 7(घ) एवं (ड.) में भाषा II अन्तर्गत वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा नियमावली के अनुसूची-1 के अनुसार होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए

अनुमान्य क्षेत्रीय / जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा।
क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा की परीक्षा में परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में वे शुद्ध शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भाषा-II में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या- 1428 दिनांक 10.03.2023 एवं अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10.03.2023 में उल्लेखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में वे शुद्ध शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं।

21. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 12 में निम्न प्रावधान अंकित है -

शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार को **प्रत्येक वर्ष में** कम से कम एक परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य होगा।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार नियमानुसार परीक्षा आयोजित करने हेतु उत्तरदायी होगा।

22. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 3 में अंकित प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है -

क्र.	वर्तमान प्रावधान			क्र.	प्रतिस्थापित प्रावधान		
खण्ड	विषय	बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	खण्ड	विषय	बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति	20	20	I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति	30	30
II.	भाषा-I	40	40	II.	भाषा-I	30	30
	(a) सहायक शिक्षक : हिन्दी एवं अंग्रेजी (हिन्दी के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)				(a) सहायक आचार्य/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य : हिन्दी एवं अंग्रेजी (हिन्दी के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न)		
	(b) उर्दू सहायक शिक्षक: उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)				(b) सहायक आचार्य (उर्दू): उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न)		
III.	भाषा-II	40	40	III.	भाषा-II	30	30

क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा			कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा।		
गणित	50	50	गणित	30	30
पर्यावरण अध्ययन	50	50	सामान्य अध्ययन	30	30
कुल	200	200	कुल	150	150

नोट: परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (कक्षा 1 से 5 के लिए) को झारखंड अधिविद्य परिषद, राँची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा चयनित किये गये विकल्पों यथा-सहायक आचार्य/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य/सहायक आचार्य (उर्दू) तथा चयनित भाषा-II का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। सहायक आचार्य (उर्दू) के प्रतिभागी द्वारा भाषा-II में उर्दू भाषा का चयन अनिवार्य होगा।

23. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 4 में अंकित प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है -

क्र. खण्ड	वर्तमान प्रावधान				क्र. खण्ड	प्रतिस्थापित प्रावधान					
		विषय	बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक			विषय	बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक		
1.	अनिवार्य	I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)	20	20	1.	अनिवार्य	I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)	30	30
		II.	भाषा-I	40	40			II.	(a) सहायक आचार्य/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य : हिन्दी एवं अंग्रेजी (हिन्दी के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)	30	30
			(b) उर्दू शिक्षक : उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)						(b) सहायक आचार्य (उर्दू): उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न)		
		III.	भाषा-II क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा	40	40			III.	भाषा-II कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा	30	30

								में से कोई एक भाषा।				
2.	वैकल्पिक	IV.	(a) गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक :	150	150	2.	वैकल्पिक	IV.	(a) गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक :	60	60	
			गणित-50, विज्ञान-100 (भौतिकी-50, रसायन-50, वनस्पति-50, जीव विज्ञान-50 में से कोई भी दो विषय)						गणित एवं विज्ञान से संबंधित प्रश्न			
			(b) समाज अध्ययन शिक्षक:	150	150					(b) समाज अध्ययन शिक्षक :	60	60
			(इतिहास-50, भूगोल-50, राजनीतिशास्त्र- 50, अर्थशास्त्र-50, समाजशास्त्र-50, लेखा शास्त्र-50 तथा व्यापार अध्ययन-50 में कोई भी तीन विषय)							समाज अध्ययन से संबंधित प्रश्न		
(c) भाषा शिक्षक :	150	150						(c) भाषा शिक्षक/ अन्य शिक्षक: IV(a) अथवा IV(b) में से कोई एक	60	60		
(अंग्रेजी-75 एवं हिन्दी/संस्कृत/उर्दू/अन्य संबंधित भाषा-75)												
कुल				250	250				कुल	150	150	

नोट: परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (कक्षा 6 से 8 के लिए) को झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा चयनित किये गये विकल्पों यथा-सहायक आचार्य/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य/सहायक आचार्य (उर्दू), चयनित भाषा-॥ तथा चयनित वैकल्पिक विषय (गणित एवं विज्ञान शिक्षक या सामाजिक विज्ञान शिक्षक) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। सहायक आचार्य (उर्दू) के प्रतिभागी द्वारा भाषा-॥ में उर्दू भाषा का चयन अनिवार्य होगा।

24. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 4 में अंकित नोट निम्नवत् है-

विज्ञान विषयों एवं सामाजिक अध्ययन के विषयों के लिए क्रमशः 4 एवं 7 खण्ड होंगे, जिसमें दो या तीन खण्ड का उत्तर देना अनिवार्य होगा।

को विलोपित किया जाता है।

25. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 5 में निम्न प्रावधान अंकित है-

नियम-7 (घ) एवं (ड.) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

'नियम 7 (घ) एवं (ड.) में भाषा-॥ अंतर्गत वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (झारखंड सरकार) के गजट संख्या 660 दिनांक 24.12.2021 द्वारा चिन्हित जिलावार क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा के अनुरूप होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए अनुमान्य क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

अनुमान्य क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा की परीक्षा में परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं भाषा में वे शुद्ध शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं।
को विलोपित किया जाता है।

26. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 6 में निम्न प्रावधान है—

नियम-6 में कंडिका-ग (iii) निम्नवत् जोड़ा जाता है:—

“नियम-6 में कंडिका-ग(i) तथा (ii) में वर्णित योग्यताओं के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा”।

को विलोपित किया जाता है।

27. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय-2 के नियम 7 (ट) में निम्न प्रावधान अंकित है—

प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए सिलेबस क्रमशः अनुसूची-2 एवं अनुसूची-3 के अनुरूप होगी।

को विलोपित किया जाता है।

28. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय-2 के नियम 9 में निम्न प्रावधान अंकित है—

परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा परीक्षा प्राधिकार प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा, जो परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से 7 (सात) वर्ष तक शिक्षक नियुक्ति हेतु मान्य होगा।

को विलोपित किया जाता है।

29. इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से तदविषयक पूर्व से प्रवृत्त सभी राजकीय संकल्प, अनुदेश, निदेश अथवा नियम इस हद तक संशोधित माने जायेंगे, परन्तु इस संशोधन के होते हुए भी उल्लिखित राजकीय संकल्प, अनुदेश, निर्देश अथवा नियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई मानी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(उमा शंकर सिंह)

सरकार के प्रभारी सचिव।

ज्ञापांक : 8/वि01-04/2018...783.../राँची,

दिनांक...15/06/2024

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची, को झारखण्ड गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 600 प्रतियाँ अविनाश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(उमा शंकर सिंह)

सरकार के प्रभारी सचिव।

ज्ञापांक : 8/वि01-04/2018...783.../राँची,

दिनांक...15/06/2024

प्रतिलिपि— झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक निदेशक, झारखण्ड/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(उमा शंकर सिंह)

सरकार के प्रभारी सचिव।

ज्ञापांक : 8/वि01-04/2018...783.../राँची,

दिनांक...15/06/2024

प्रतिनिधि— विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड/सचिव, विधानसभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(उमा शंकर सिंह)

सरकार के प्रभारी सचिव।

2507
18.08.22
शिक्षक

365

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
अधिसूचना

संख्या :- 8/वि01-04/2018.../निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त नियमावली में संशोधन करते हुए निम्नवत् संशोधन नियमावली गठित करते हैं:-

राँची, दिनांक 18/08/2022

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-
 - (i) यह नियमावली "झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022" कही जायेगी।
 - (ii) इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा।
 - (iii) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2019 के निम्नांकित प्रावधानों को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

क्र.	नियम	प्रतिस्थापित प्रावधान
i.	नियम-6 कंडिका (ग)(ii) परन्तुक (ii)	सामाजिक अध्ययन शिक्षक : (क) इतिहास, (ख) भूगोल, (ग) राजनीतिशास्त्र, (घ) अर्थशास्त्र, (च) समाजशास्त्र (छ) लेखा शास्त्र (ज) व्यापार अध्ययन
ii.	नियम-7 (ख) (i)	प्राथमिक कक्षा (1 से 5) के लिए परीक्षा अवधि 03 घंटा
iii.	नियम-7 (ड.) खण्ड-1 (ii) भाषा-1 (b)	उर्दू सहायक शिक्षक : उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)
iv.	नियम-7 (ड.) खण्ड-2 वैकल्पिक विषय (iv) (a)	गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक : (गणित-50, विज्ञान-100 (भौतिकी-50, रसायन-50, वनस्पति-50, जीव विज्ञान-50 में से कोई भी दो विषय)
v.	नियम-7 (ड.) खण्ड-2 वैकल्पिक विषय (iv) (b)	(इतिहास-50, भूगोल-50, राजनीतिशास्त्र-50, अर्थशास्त्र-50, समाजशास्त्र-50, लेखा शास्त्र-50 तथा व्यापार अध्ययन-50 में कोई भी तीन विषय)

3. नियम-7 (घ) में निम्नवत् संशोधन करते हुए प्रतिस्थापित किया जाता है :-

क्र.	प्रतिस्थापित प्रावधान		
	विषय	बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
1.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति	20	20

II.	भाषा-I	40	40
	(a) सहायक शिक्षक : हिन्दी एवं अंग्रेजी (हिन्दी के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)		
	(b) उर्दू सहायक शिक्षक: उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)		
III.	भाषा-II क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा	40	40
	गणित	50	50
	पर्यावरण अध्ययन	50	50
कुल		200	200

364

4. नियम-7 (ड.) में निम्नवत् संशोधन करते हुए प्रतिस्थापित किया जाता है :-

क्र	प्रतिस्थापित प्रावधान			
खण्ड		विषय	बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
1.	अनिवार्य	I. बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)	20	20
		II. भाषा-I	40	40
		(a) सामान्य शिक्षक: हिन्दी एवं अंग्रेजी, या (हिन्दी के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)		
		(b) उर्दू शिक्षक : उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)		
	III.	भाषा-II क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा	40	40
2.	वैकल्पिक	IV. (a) गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक : गणित-50, विज्ञान-100 (भौतिकी-50, रसायन-50, वनस्पति-50, जीव विज्ञान-50 में से कोई भी दो विषय)	150	150
		(b) सामाजिक अध्ययन शिक्षक : (इतिहास-50, भूगोल-50, राजनीतिशास्त्र- 50, अर्थशास्त्र-50, समाजशास्त्र-50, लेखा शास्त्र-50 तथा व्यापार अध्ययन-50 में कोई भी तीन विषय)	150	150
		(c) भाषा शिक्षक : (अंग्रेजी-75 एवं हिन्दी/संस्कृत/उर्दू/अन्य संबंधित भाषा-75)	150	150
कुल			250	250

नोट: विज्ञान विषयों एवं सामाजिक अध्ययन के विषयों के लिए क्रमशः 4 एवं 7 खण्ड होंगे, जिसमें दो या तीन खण्ड का उत्तर देना अनिवार्य होगा।

5. नियम-7 (घ) एवं (ड.) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“नियम-7 (घ) एवं (ड.) में भाषा-॥ अंतर्गत वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (झारखण्ड सरकार) के गजट संख्या-660 दिनांक 24.12.2021 द्वारा चिन्हित जिलावार क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा के अनुरूप होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए अनुमान्य क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

अनुमान्य क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा की परीक्षा में परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं भाषा में वे शुद्ध-शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं।”

6. नियम-6 में कंडिका-(ग) (iii) निम्नवत् जोड़ा जाता है :-

“नियम-6 में कंडिका (ग) (i) तथा (ii) में वर्णित योग्यताओं के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा”।

7. नियम-7 (ठ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु निम्नवत् प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा :-

क्र. सं.	वर्ग	प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम प्राप्तांक (प्रतिशत)	कुल प्राप्तांक न्यूनतम (प्रतिशत)
I.	सामान्य जाति	40	60
II.	अनुसूचित जाति	30	50
III.	अनुसूचित जनजाति	30	50
IV.	आदिम जनजाति	30	50
V.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)	35	55
VI.	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)	35	55
VII.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	35	55
VIII.	दिव्यांग	30	50

8. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण-पत्र की वैधता सात वर्ष के बदले आजीवन रहेगा। यह प्रावधान झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2013 एवं 2016 के प्रमाण-पत्र पर भी लागू होगा।

9. इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से तद्विषयक पूर्व से प्रवृत्त सभी राजकीय संकल्प, अनुदेश, निदेश अथवा नियम इस हद तक निरसित माने जायेंगे, परन्तु इस निरसन के होते हुए भी उल्लिखित राजकीय संकल्प, अनुदेश, निदेश अथवा नियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई मानी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(राजेश कुमार शर्मा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 8/वि01-04/2018.253/राँची,

दिनांक 18/03/2022

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची, को झारखण्ड गजट के अगले प्रसाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 600 प्रतियाँ अखिल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 8/वि01-04/2018.253/राँची,

दिनांक 18/03/2022

प्रतिलिपि- झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक झारखण्ड/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 8/वि01-04/2018.253/राँची,

दिनांक 18/03/2022

प्रतिनिधि- विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड/सचिव, विधानसभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

दि. 04/10/19

अधिसूचना

संख्या 8/वि1-04/2018.....1503/ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) के अधीन झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं:-

अध्याय-1-प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-
 - (क) यह नियमावली "झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019" कही जायेगी।
 - (ख) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
 - (ग) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ :-
 - (क) "राज्य सरकार" से तात्पर्य है, झारखण्ड सरकार।
 - (ख) "विभाग" से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
 - (ग) "अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव" से तात्पर्य है, झारखण्ड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में सरकार के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
 - (घ) "निदेशक" से तात्पर्य है निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड सरकार।
 - (ङ) "जिला शिक्षा अधीक्षक" से तात्पर्य है झारखण्ड राज्य के किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी।
 - (च) "प्रारंभिक विद्यालय" से तात्पर्य है झारखण्ड राज्य अन्तर्गत कक्षा 1

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

353

अधिसूचना

दि. 04/10/19

संख्या 8/वि1-04/2018.....1603/ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) के अधीन झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं:-

अध्याय-1-प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

- (क) यह नियमावली "झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019" कही जायेगी।
- (ख) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (ग) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :-

- (क) "राज्य सरकार" से तात्पर्य है, झारखण्ड सरकार।
- (ख) "विभाग" से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
- (ग) "अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव" से तात्पर्य है, झारखण्ड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में सरकार के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
- (घ) "निदेशक" से तात्पर्य है निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड सरकार।
- (ङ) "जिला शिक्षा अधीक्षक" से तात्पर्य है झारखण्ड राज्य के किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी।
- (च) "प्रारंभिक विद्यालय" से तात्पर्य है झारखण्ड राज्य अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक सरकार द्वारा/ वित्त पोषित/ अनुदान प्राप्त अथवा निःशुल्क

और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय।

- “प्राथमिक विद्यालय” से तात्पर्य है ऐसे प्रारंभिक विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 तक के किसी भी कक्षा की पढ़ाई होती हो।
 - “उच्च प्राथमिक विद्यालय” से तात्पर्य है ऐसे प्रारंभिक विद्यालय जहां कक्षा 6 से 8 तक के किसी भी कक्षा की पढ़ाई होती हो।
- (छ) “प्रशिक्षित” से तात्पर्य है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन. सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त और उत्तीर्ण हो।
- (ज) “मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण” का तात्पर्य है कि इस नियमावली में उल्लेखित एवं वांछित शिक्षक प्रशिक्षण, चाहे जो नियमित रूप से अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किये गये हों, परन्तु
- (i) यदि शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के प्रभावी होने की तिथि 01.07.1995 के बाद प्राप्त हों तो यह शिक्षक प्रशिक्षण मात्र उन प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त एवं उत्तीर्ण किये गये हों जिन्हें ये शिक्षक प्रशिक्षण प्रदत्त करने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की मान्यता अनिवार्यतः प्राप्त हो।
 - (ii) यदि शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के प्रभावी होने की तिथि 01.07.1995 के पूर्व प्राप्त हों, तो ये शिक्षक प्रशिक्षण मात्र उन प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त एवं उत्तीर्ण किये गये हों जिन्हें ये शिक्षक प्रशिक्षण प्रदत्त करने हेतु उस राज्य, जहाँ वे अवस्थित हों, की राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता अनिवार्यतः प्राप्त हों।
- (झ) “शिक्षक” से तात्पर्य है प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षण कार्य करने वाले व्यक्ति।
- (ञ) “परीक्षा प्राधिकार” से तात्पर्य है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार जो नियमावली के प्रावधानों के अधीन झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी।
- (ट) “अर्हक परीक्षा” से तात्पर्य है, झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा।
- (ठ) “अनुसूचित जाति” से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह।

- (ड) “अनुसूचित जनजाति” से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह।
- (ढ) “पिछड़ा वर्ग-1 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग-2” से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-i एवं अनुसूची-ii) के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह।
- (ण) “आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग” से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह।
- (त) “आदिम जनजाति” से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा आदिम जनजाति के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह।
- (थ) “दिव्यांग” से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर व्यक्ति।
- (द) “विशेष शिक्षा” राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय पुर्नवास परिषद् के द्वारा विशेष शिक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं मान्यता के अनुरूप प्रशिक्षण में उत्तीर्णता।
- (ध) “अधिनियम” से तात्पर्य है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35)।
- (न) “राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.)” से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 23(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अकादमिक प्राधिकार।

अध्याय-2-शिक्षक पात्रता परीक्षा

3. अधिनियम की धारा 23(1) के अन्तर्गत शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम अहर्ता निर्धारित करने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) को केन्द्र सरकार द्वारा अकादमिक प्राधिकार अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता धारित करने वाला व्यक्ति ही शिक्षक के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा एवं न्यूनतम अहर्ता निर्धारित करने के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्गत सभी आदेश/ निर्देश/ संशोधन स्वतः इस नियमावली के अध्याय 2 का अंश होगा।
4. इस नियमावली के अध्याय 2 के कंडिका 6 में वर्णित न्यूनतम अहर्ता एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ता में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा दुविधा होने पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ता प्रभावी होगा।

5. शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जाँच हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद् अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें सफल अभ्यर्थी निम्नलिखित विद्यालयों में नियुक्ति के पात्र होंगे-

क. प्रारंभिक विद्यालय (प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय)

6. शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अहर्ताएँ निम्नवत् होंगी :

(क) भारत का नागरिक हो,

(ख) अपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो।

(ग) शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्ताएँ :

(i) प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-5 के लिए)

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो), [जो दिनांक 09.12.2007 के बाद उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हों]

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। [जो दिनांक 09.12.2007 तक उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हो चुके हों]

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी.एड.)

(ii) उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6-8 के लिए)

स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) [जो दिनांक 31.05.2009 के बाद उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हों]

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय (बी.एड.) जो इस संबंध में समय-समय पर गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता तथा क्रियाविधि) विनियमों, के अनुसार प्राप्त हो। [जो दिनांक 31.05.2009 तक उपरोक्त सत्र में सम्मिलित हो चुके हों]

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.एड. (BA,BSC,Ed.) या बी.ए.एड. (BA, Ed)/बी.एस.सी.एड. (BSC,Ed.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा एक वर्षीय बी.एड.(विशेष शिक्षा)

परन्तुक- राज्य के उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8 के लिए) विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा के लिए निम्न विषयों में न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा-

(i) **गणित एवं विज्ञान शिक्षक-** स्नातक (विज्ञान) प्रतिष्ठा के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय एवं सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कोई दो विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण-

(क.) गणित, (ख.) भौतिकी, (ग.) रसायनशास्त्र, (घ.) वनस्पति विज्ञान (च) जीव विज्ञान।

(ii) **सामाजिक विज्ञान शिक्षक-** स्नातक (कला) प्रतिष्ठा के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय तथा सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कोई दो विषय के साथ उत्तीर्ण-

(क.) इतिहास, (ख.) भूगोल, (ग.) राजनीतिशास्त्र, (घ.) अर्थशास्त्र (च.) समाजशास्त्र।

(iii) **भाषा शिक्षक-** संबंधित भाषा में स्नातक प्रतिष्ठा अथवा सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित भाषा में से कोई एक भाषा अंग्रेजी/हिन्दी के साथ अतिरिक्त विषय के रूप में स्नातक उत्तीर्ण-

4

- (क) संस्कृत (ख) उर्दू (ग) फारसी (घ) उड़िया
 (च) बंगला (छ) संथाली (ज) मुण्डारी (झ)
 हो (ट) खड़िया (ठ) कुडुख(उरांव) (ड)
 कुरमाली (ढ़) खोरठा (त) नागपुरी तथा (थ)
 पंच-परगनिया।

नोट:-

1. राज्य में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में विभागीय संकल्प/आदेश द्वारा कक्षा 1-5 तक अनिवार्य किया गया है। इस आलोक में इण्टर प्रशिक्षित श्रेणी हेतु आवेदकों को मैट्रिक स्तर पर अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना होगा।
 2. क्षेत्रीय एवं अन्य भाषा में इण्टर प्रशिक्षित श्रेणी के आवेदकों को मैट्रिक/इण्टर स्तर पर संबंधित भाषा में उत्तीर्ण होना होगा।
 3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायादेशों के क्रम में (एल.पी.ए. संख्या 209, 219, 222, 223, 227/2017 में पारित न्यायादेश दिनांक 27.06.2019) स्नातक डिग्री अहर्ताधारी जिनका सहायक अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में MIL Hindi रहा हो, उन्हें इसके आधार पर स्नातक प्रशिक्षित भाषा शिक्षक के पद हेतु वांछित अहर्ता नहीं माना गया है।
- (घ) वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कंडिका-6(ग) (i) के अनुरूप निर्धारित योग्यताधारी अर्थात् “न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा एक वर्षीय बी.एड./ बी.एड.(विशेष शिक्षा)/ डी.एड.(विशेष शिक्षा)” प्राप्त हो, ऐसे अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि शिक्षक पद पर नियुक्ति के पश्चात् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्च पर एक अवसरीय रूप में छः माह का ब्रीज (सेतु) कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थित्व विचारणीय नहीं होगा तथा रद्द कर दिया जायेगा।
- (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना संख्या-246, दिनांक 28.06.2018 के अनुरूप)
- (ङ) अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को नियम 6(ग) (i) (अ) एवं 6(ग) (ii) (अ) में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों को उपरोक्त अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 7 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

- (च) अभ्यर्थी झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व अपनी योग्यता नियम 6(ग) (i) (अ) एवं 6(ग) (ii) (अ) के विनिर्दिष्ट योग्यता के अनुरूप स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा।
- (छ) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो, से तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। उनके अभ्यर्थित्व का अंतिम सत्यापन सक्षम नियुक्ति प्राधिकार के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ज) कोई भी अभ्यर्थी अपने प्राप्तंक में सुधार के लिए एक से अधिक बार परीक्षा में शामिल हो सकेगा।

7. शिक्षक पात्रता जाँच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा -

- (क) पात्रता जाँच परीक्षा के दो स्तर यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे और कोई अभ्यर्थी दोनों स्तर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।
- (i.) कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर
- (ii.) कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर
- (ख) प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसका परीक्षा अवधि निम्नवत् होगा :-
- i) प्राथमिक कक्षा (1 से 5) - दो घंटा तीस मिनट।
- ii) उच्च प्राथमिक कक्षा (6 से 8) - तीन घंटा।
- iii) दृष्टि बाधित, दिव्यांगों के लिए - तीस मिनट का अतिरिक्त समय।
- (ग) परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों की होगी और इसमें अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जायेगी।
- (घ) कक्षा 1 से 5 के लिए पात्रता जाँच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :

खण्ड	विषय	बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
i.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति	20	20
ii.	भाषा- I	40	40
	(a) सहायक शिक्षक : हिन्दी एवं अंग्रेजी (हिन्दी के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए		

	20 प्रश्न)		
	(b) उर्दू सहायक शिक्षक : उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)		
iii.	भाषा- II क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा	20	20
	गणित	60	60
	पर्यावरण अध्ययन	60	60
	कुल-	200	200

(इ) कक्षा 6 से 8 के लिए निम्नवत् अहर्ता जाँच परीक्षा ली जायेगी :

खण्ड			विषय	बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
1	अनिवार्य	i.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)	25	25
		ii.	भाषा- I		
			(a) सामान्य शिक्षक : हिन्दी एवं अंग्रेजी, या (हिन्दी/संस्कृत के लिए 25 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 25 प्रश्न)	50	50
			(b) उर्दू शिक्षक : उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 30 प्रश्न)		
		iii.	भाषा- II क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा/संस्कृत सहित	25	25
2	वैकल्पिक	iv	(a) गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक : (गणित-70, विज्ञान-80 (भौतिक-40, रसायन-40, वनस्पति-40, जीव विज्ञान-40 में से कोई भी दो विषय)	150	150
			(b) समाज अध्ययन शिक्षक : (इतिहास-50, भूगोल-50, राजनीति शास्त्र-50, अर्थशास्त्र-50, समाजशास्त्र-50 में से कोई भी तीन विषय)	150	150
			(c) भाषा शिक्षक : (अंग्रेजी-75 एवं हिन्दी/संस्कृत/उर्दू/अन्य संबंधित भाषा-75)	150	150
			कुल-	250	250

नोट:- विज्ञान विषयों एवं समाजिक विज्ञान के विषयों के लिए क्रमशः 4 एवं 5 खण्ड होंगे, जिसमें से क्रमशः दो या तीन खण्ड का उत्तर देना अनिवार्य होगा।

(च.) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे और परीक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा। अन्य भाषा विषयों के प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होंगे।

- (छ) प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जाँच परीक्षा के प्रश्न एन.सी. ई.आर.टी./सी.बी.एस.ई. एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 11 एवं 12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर 10+2/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होगा।
- (ज) उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जाँच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा स्नातक के सिलेबस पर आधारित होंगे। किन्तु, इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर स्नातक या समकक्ष होगा।
- (झ) नियम 7(घ) एवं (ङ) में भाषा-11 अन्तर्गत वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा नियमावली के अनुसूची-1 के अनुसार होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए अनुमान्य क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा की परीक्षा में परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में वे शुद्ध-शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं।

- (ट) प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए सिलेबस क्रमशः अनुसूची-2 एवं अनुसूची-3 के अनुरूप होगी।
- (ठ) परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 40 प्रतिशत के साथ कुल प्राप्तांक का न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परन्तु कि अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत अंक की छूट देया होगा, परन्तु न्यूनतम प्राप्तांक में छूट किसी भी परिस्थिति 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। अर्थात् उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 35 एवं 55 प्रतिशत होगा।
8. परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार/परीक्षा प्राधिकार के द्वारा किया जायेगा।
9. परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा परीक्षा प्राधिकार प्रमाण पत्र निर्गत करेगा जो परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से 7 (सात) वर्ष तक शिक्षक नियुक्ति हेतु मान्य होगा।
10. नियम 7(ङ)(iv) के अधीन अंकित क्रमशः (अ), (ब) एवं (स) श्रेणी में झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित शिक्षक या समाज अध्ययन या भाषा विषय

शिक्षक पद के विरुद्ध इस अनुरूप नियुक्ति के पात्र होंगे, जैसा कि परीक्षा 7(ड) के खण्ड 2 में वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षा दी है।

11. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक पद पर नियुक्ति का दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा। यह मात्र एक पात्रता जाँच परीक्षा है।
12. शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य होगा।
13. पात्रता परीक्षा में कदाचार के आरोपित अभ्यर्थी को अगले दो परीक्षा तक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित करने का अधिकार परीक्षा प्राधिकार को होगा।
14. पात्रता परीक्षा से संबंधित सभी अभिलेखों को न्यूनतम सात साल तक सुरक्षित संधारित करने का दायित्व परीक्षा प्राधिकार का होगा।

अध्याय-3-अन्यान्य

15. नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जायेंगे।
16. इस नियमावली के प्रभावी होने के तिथि से झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के अध्याय-2 में वर्णित उपबंध को निरसित समझा जायेगा।

परन्तु, ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे नियमों एवं आदेशों द्वारा या उनके अधीन की गयी कोई कार्रवाई, इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन किया गया था या की गयी समझी जायेगी, मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन वैसा कुछ भी किया गया था या वैसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

राँची, दिनांक 04/10/2019

ज्ञापांक - 8/वि1-04/2018.1603/

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की

600 प्रतियाँ अविलम्ब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

Ap 03/10/19

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

राँची, दिनांक 04/10/2019

ज्ञापांक - 8/वि1-04/2018/1603/ राँची, दिनांक 04/10/2019
 प्रतिलिपि :- झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/ सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Ap 03/10/19

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

राँची, दिनांक 04/10/2019

ज्ञापांक - 8/वि1-04/2018/1603/ राँची, दिनांक 04/10/2019
 प्रतिलिपि :- विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Ap 03/10/19

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव